नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81 फिन (एल0ए0) खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषदों मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान नगर परिषद मण्डी में प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत्त रहेः–

क्रमांक	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्रीमती सुशीला सौंखला	प्रधान	1.4.15 से 17.1.16
2	श्रीमती नीलम शर्मा	प्रधान	17.2.16 से 31.3.17
3	श्री विवेक भाटिया (SDM)	कार्यकारी अधिकारी	1.4.15 से 12.5.15
4	श्रीमती उर्वशी वालिया	कार्यकारी अधिकारी	25.5.15 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद मण्डी के अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	अनुदान राशि को जोखिम भरे विकल्प में निवेश करना	5 (क)	200.00
2	अनुदान राशि को निवेश करने पर वित्तीय कुप्रबन्धन पर अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होना	5 (ख)	42.63
3	सावधि जमा निवेश पर ब्याज की कम प्राप्ति	5 (ग)	3.86

4	UIDSSMT स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त राशि को परिषद द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना	6 (i)	4565.72
5	गृहकर की बकाया राशि का वसूली हेतु पाया जाना	7	318.92
6	दुकानों के किराए की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	33.78
7	मोबाईल टावर स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	10	12.20
8	सेवानिवृत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का अधिक भुगतान	12	0.26
9	गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को अधिक भुगतान	13	4.58
10	सर्विस टैक्स की वसूली नहीं करने से राजकीय कोष में हानि	15	1.68

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेंदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–I** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मोहिन्द्र कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री शिव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 8.9.2017 से 6.12.2017 के दौरान मण्डी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच

के लिए माह 5/2015 व 5/2016 तथा व्यय की जाँच के लिए 10/2015 व 12/2016 के लेखाओं का चयन किया गया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने की स्थिति में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद मण्डी के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹83800 किया गया है। सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन MC 12/17–38 दिनांक 1.12.17 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मण्डी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद मण्डी द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद की अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही है जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	स्वयं स्त्रोत से आय	ब्याज	अनुदान	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2015–16	106651116.22	19139414.20	9354808	72089783	207235121.42	161421986	45813135.42
2016–17	45813135.42	37211571.72	11404681	535697346	630126734.14	89533132.90	540593601.24

(ख) बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.17 तक रोंकड़ बही के अनुसार अन्तशेष राशि	540593601.24
दिनांक 31.3.17 तक बैंकों में जमा व एफ0डी0आर0 में जमा राशि	541197451.20
अन्तर	₹603850.04
	Or Say ₹603850
दिनांक 31.3.17 तक रोकड़ बही में भुगतान हेतु जारी किए गए चैक जिनका बैंक से भुगतान नहीं हुआ	657416
दिनांक 31.3.17 तक रोकड़ बही में आय के चैक जमा किए लेकिन	(7) 53566

बैंक में 31.3.17 के बाद जमा हुए

योग	₹603850
शुद्ध शेष अन्तर	शून्य

नोटः– (1) रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि माह 4/2015 के दौरान ₹948163 का व्यय प्रतिभूति निधि से किया गया था जोकि मुख्य रोकड़ बही से सम्बन्धित व्यय था। उक्त राशि के अन्तर के साथ 31.7.15 को रोकड़ बही का अन्तशेष ₹130252891.42 था लेकिन 1.8.2015 को रोकड़ बही में प्रारम्भिक शेष दर्ज करते समय ₹131201054.42 दर्शाया गया। इस प्रकार ₹948163 के अन्तर का मिलान केर दिया गया जबकि यह राशि 31.3.17 को अन्तर में दर्शाई जानी अपेक्षित थी। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹948163 को दिनांक 24.5.17 को वापिस प्रतिभूति निधि में जमा करवा दिया गया है। अतः ₹948163 प्रतिभूति निधि से व्यय करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार माह 5/2017 के दौरान उक्त राशि की प्रविष्टि करके रोकड़ बही का मिलान किया जाए तथा अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

5 निवेश

नगर परिषद मण्डी के खाते मं दिनांक 31.3.17 को ₹439999996 सावधि जमा योजना व म्युचुअल फण्ड में निवेशित थे जिस का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

(क) उपरोक्त ₹439999996 में से नगर परिषद द्वारा म्युचुअल फण्ड (ICICI Prudential life Insurance) में 2 करोड़ निवेशित किए थे जोकि एक जोखिम भरा निवेश विकल्प है। अतः निदेशक शहरी विकास की अनुमति के बिना म्युचुअल फण्ड योजना में परिषद निधि को निवेश करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित किया जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹42.63 लाख के अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना

नगर परिषद मण्डी को शहरी विकास निदेशालय से पत्र संख्या ULB-H©(10)90-11425 दिनांक 1.8.16 द्वारा बैंक बचत खाता संख्या 1788 दिनांक 28.7.16 में UIDSSMT की अनुदान राशि प्राप्त हुई। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त अनुदान की

राशि को कुछ अन्तराल के बाद विभिन्न बैंकों के बचत खातों में हस्तांतरण किया गया तथा बैंकों द्वारा राशियों को कुछ समय तक बचत खातों में रखने के बाद सावधि जमा योजना में निवेश किया गया। उपरोक्त अनुदान की राशि को न तो सम्बन्धित विभाग/कार्य को निष्पादन हेतु हस्तांतरित किया गया और न ही अनुदान की राशि को कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अन्तर्गत सावधि जमा योजना में निवेश किया गया। उक्त निवेश न करने के फलस्वरूप नगर परिषद मण्डी को **परिशिष्ट "ग"** में दर्शाए गए विवरणानुसार लगभग ₹4263398 की ब्याज के रूप में हानि उठानी पड़ी। अतः अनुदान की राशि को निवेश में कुप्रबन्धन के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में किए जाने वाले निवेशों के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

(ग) सावधि निवेश पर ब्याज के रूप में ₹3.86 लाख की कम प्राप्ति

नगर परिषद के निवेश रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए निवेशों तथा उनके परिपक्वता होने पर प्राप्त ब्याज की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद को **परिशिष्ट "घ"** में दर्शाए गए निवेशों पर परिपक्वता पर वास्तविक राशि से लगभग ₹386290 ब्याज के रूप में बैंकों द्वारा कम प्रदान की गई प्रतीत होती है जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अपने स्त्तर पर पड़ताल करके यह प्रकरण सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए तदानुसार अपेक्षित ब्याज की राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) वर्तमान निवेशों पर अन्य बैंकों की तुलना में ₹16.09 लाख की कम परिपक्वता राशि दर्शाना

नगर परिषद मण्डी के वर्तमान सावधि जमा निवेशों की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न बैंकों द्वारा निवेश की समान अवधि के दौरान कम ब्याज दर पर परिपक्वता राशि दर्शाई गई है जिसके कारण परिषद को **परिशिष्ट "ङ"** में दर्शाए गए विवरणानुसार ₹1608791 की हानि की सम्भावना है। अतः निवेश करने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दर का तुलनात्मक अध्ययन न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सावधि जमा में कम दर पर परिपक्वता दर्शाने के बारे में सम्बन्धित बैंकों से प्रकरण उठाया जाए तथा भविष्य में सावधि जमा में उच्च दर पर ब्याज देने वाले बैंकों में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न रखना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान व अनुदान से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था जिस के अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण के दौरान सत्यापना नहीं की जा सकी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मण्डी को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनांक 18.11.17 व अंकेक्षण अधियाचना संख्या 43 दिनांक 1.12.2017 द्वारा विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशियों, मदवार किये गये व्यय व 31.3.2017 को बकाया अनुदान राशियों की विवरणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट "च"** के अनुसार जो सूचना अनुदान के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई वह आधी अधूरी थी तथा अधिकांश प्रविष्टियाँ अनुदान स्वीकृति पत्रों व रोकड़ बही से मेल नहीं खाती थी। अतः विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशियों का अनुदान रजिस्टर में उचित/वर्गीकृत अनुरक्षण व अद्यतन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों जिनका ब्यौरा **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है, के सम्बन्ध में मदवार व्यय का ब्यौरा अनुदान रजिस्अर में दर्ज करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में जाँच के लिए प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे प्राप्त अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित सही स्थिति ज्ञात हो सके।

(प) अनुदान UIDSSMT के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2015 को ₹798.23 लाख अनुपयुक्त पाया जाना व 28.7.2017 को प्राप्त ₹456572000 को समय से उपयोग करने की अपेक्षा बैंक खातों में जमा रखने बारे

नगर परिषद मण्डी के खाते में UIDSSMT शीर्षक के अन्तर्गत 31.3.2015 को ₹79823000 उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि को सावधि जमा में निवेशित रखा गया तथा माह 2/2016 व 3/2016 के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पास डिपाजिट कार्य के विरूद्व जमा किया गया। इसी प्रकार नगर परिषद द्वारा निदेशक शहरी विकास से पत्र संख्या ULB-HC (10)/90-11425 दिनांक 1.8.16 द्वारा UIDSSMT शीर्षक के अन्तर्गत ₹456572000 प्राप्त हुई थी जिसे बचत खातों/सावधि जमा खातों में जमा रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुदान की राशि को समय से उपयोग करने की उपेक्षा बैंक बचत खातों/सावधि जमा खातों में जमा रख कर अनुदान को अवरूद्ध किया गया। उक्त निधि को कुछ समय तक सावधि जमा की अपेक्षा बचत खातों में रखने के कारण परिषद को अर्जित होने वाले अतिरिक्त ब्याज से भी वंचित होना पड़ा। अतः इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुदान की राशि को उसी उद्देश्य हेतु समय सीमा के भीतर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु अनुदान राशि स्वीकृत किया की गई हो। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 गृहकर की ₹318.92 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद मण्डी के गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा दिनांक 31.3.17 तक गृहकर दाताओं से ₹31892458 की वसूली की जानी शेष थी जिस का विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है। नगर परिषद मण्डी द्वारा गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई जोकि चिन्ता का विषय है। अतः गृहकर की नियमित रूप से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए जिससे परिषद के विकास कार्य सुचारू रूप से निष्पादित किए जा सके।

8 दुकानों के किराये की ₹33.78 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

किराया मांग व संग्रह रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों के किराये की ₹3377676 की वसूली करनी शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "झ"** में दिया गया है परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि की वसूली हेतु अतिशीघ्र अपेक्षित नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

9 व्यवसायिक कर की ₹1.80 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद मण्डी के व्यवसायिक कर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद मण्डी द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक व्यवसायिक कर की

₹180280 वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ण"** में दर्शाया गया है। अतः वयवसायिक कर की वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10 मोबाईल टावर शुल्क ₹12.20 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV-IT 2005 (Misc.) दिनांक 22.8. 2006 और निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0–एच (ए)(7)–1/2006–10393–10446 दिनांक 25.9.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में टावर लगाने हेतु ₹10000 स्थापना शुल्क तथा ₹5000 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक पांच वर्षों के उपरान्त वार्षिक नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की वृद्धि की जाएगी। मोबाईल टावर रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा 31.3.2017 तक **परिशिष्ट "ट"** के अनुसार मोबाईल टावर शुल्क की ₹1220000 प्राप्ति हेतु शेष थी। अतः विभिन्न कम्पनियों से प्राथमिकता के आधार पर शुल्क वसूल करने उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करवाई जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 सिनेमा वीडियों घरों से फिल्म प्रदर्शन टैक्स की ₹1.70 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद के सिनेमा कर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा दिनांक 31.3.17 तक प्रदर्शन कर ₹170391 की वसूली करनी शेष थी जिस का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ठ"** में दिया गया है। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाये जाएं।

12 Leave Encashment का ₹0.26 लाख का अधिक भुगतान

(वाउचर संख्या 51 दिनांक 29.10.15 ₹5376694)

नगर परिषद मण्डी की कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में अवकाश खातों में वास्तविक शेष अधिक दर्शाए जाने तथा प्रविष्टियाँ गलत करने पर व ग्रेड पे अधिक दर्शाने के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों को सेवा निवृति या मृत्यु उपरान्त अर्जित अवकाश खातों में बचे शेष दिनों के एवज में (Leave

encashment) का ₹25799 का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा यह राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	सेवानिवृति /मृत्यु की तिथि	अधिक दर्शाए गए दिन/ग्रेड पे	टिप्पणी	अधिक किया गया भुगतान
1	श्रीमती दमयन्ती देवी क0 सहायक	31.3.15	19050+4200 19050+4200+23250=46500 46500x300/30=465000	सेवा पंजिका अनुसार अन्तिम वेतन 17640+3600 था 17640+3600+24001=45241 45241x300/30=452410	12590
2	श्रीमती शकुन्तला देवी सफाई कर्मचारी	30.11.12	6 दिन 11150+1400+9036=21586 21586x161/30=115845	अवधि 24.11.1997 से 29.11. 1997 तक अर्जित अवकाश दर्ज नहीं किया गया था 11150+1400+9036=21586 21586x155/30=111528	4317
3	श्री तोता राम सफाई कर्मचारी	16.12.11	18 दिन 7980+1400+5440=14820 14820x231/30=114114	अवधि 3.10.2009 से 31.10.2009 तक 29 दिन को 11 दिन घटाया गया 7980+1400+5440=14820 14820x213/30=105222	8892
				कुल योग	**₹25799**

13 परिषद के कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹4.58 लाख का अधिक भुगतान

(क) श्रीमती निकी देवी सफाई कर्मचारी को ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान

श्रीमती निकी देवी सफाई कर्मचारी को नगर परिषद मण्डी द्वारा दिनांक 24.7.2007 को नियमित किया गया था। दिनांक 24.7.16 से 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर नगर परिषद द्वारा उच्च वेतनमान 4–9–14 में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया जो कि नियमानुसार देय नहीं था क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार 1.10.2012 से सफाई कर्मचारी के पद पर श्रीमती निकी देवी को ग्रेड पे ₹1400 से बढ़ाकर ₹1650 प्रतिमाह

कर दी गई थी। अतः श्रीमती निकी देवी को 24.7.16 से 30.11.17 तक किए गए अधिक भुगतान ₹10547 की वसूली शीघ्र की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

अवधि	देय	आहरित	Excess paid	Total
1.7.16 से 23.7.16	BP+GP+DA+IR 7120+1650+11138+- =19908	BP+GP+DA+IR=Total 7120+1650+11138+-=19908	-	—
24.7.16 से 31.7.16	7120+1650+11138–=19908	7390+1650+11481–=20521	613x8/31	158
1.8.16 से 31.12.16	7120+1650+11138+439=20347	7390+1650+11481+452=20973	626x5	3130
1.1.17 से 30.6.17	7120+1650+11752+439=20961	7390+1650+12114+452=21606	645x6	3870
1.1.17 से 31.7.17	7390+1650+12114+452=21606	7670+1650+12489+466=22275	669x1	669
1.8.17 से 30.11.17	7390+1650+12114+814=21968	7670+1650+12489+839=22648	680x4	2720
			Total	**10547**

(ख) श्री गोपाल सिंह, बेलदार को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान

श्री गोपाल सिंह, बेलदार को नगर परिषद मण्डी द्वारा दिनांक 23.8.2007 को नियमित किया गया था। दिनांक 23.8.2016 से 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर नगर परिषद द्वारा उच्च वेतनमान 4:9:14 में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया जोकि नियमानुसार देय नहीं था क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार दिनांक 1.10.2012 से बेलदार के पद पर श्री गोपाल सिंह को ग्रेड पे ₹1400 से बढ़ाकर ₹1650 प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। अतः उक्त कर्मचारी को 23.8.16 से लाभ देय नहीं है। श्री गोपाल सिंह को 23.8.16 से 30.11.17 तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	देय	आहरित	Excess paid	Total
1.8.16	BP+GP+DA+IR 7120+1650+--------	BP+GP+DA+IR=Total 7120+1650+ ---------	-	—
23.8.16 से 31.8.16	7120+1650+11138+439=20347	7390+1650+11481+452=20973	626x9/31	182
1.9.16 से 31.12.16	7120+1650+11138+439=20347	7390+1650+11481+452=20973	626x4	2504
1.1.17 से 31.7.17	7120+1650+11752+439=20961	7390+1650+12114+452=21606	645x7	4515
1.8.17 से 30.11.17	7390+1650+12114+814=21968	7670+1650+12489+839=22648	680x4	2720
			Total	**₹9921**

(ग) श्री महेश कुमार कनिष्ठ सहायक को वार्षिक वेतन वृद्धि के गलत Rounding off के फलस्वरूप ₹702 का अधिक भुगतान

नगर परिषद के श्री महेश कुमार कनिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि श्री महेश कुमार क0 सहायक का गत प्रविष्टियों अनुसार 1.6.15 को ₹15270+3600 वेतन बनता था जबकि उक्त कर्मचारी को निम्नविवरणानुसार ₹15280+3600 वेतन पर ₹702 का अधिक भुगतान हुआ जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक किये गये वेतन की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	देय	आहरित	Diff x month	Excess paid
1.6.15 से 30.6.15	BP+GP+DA+IR=Total 15270+3600+21323=40193	BP+GP+DA+IR=Total 15280+3600+21334=40214	21x1	21
1.7.15 से 31.12.15	15270+3600+22455=41325	15280+3600+22467=41347	22x6	132
1.1.16 से 31.5.16	15270+3600+23587=42457	15280+3600+23600=42480	23x5	115
1.6.16 से 30.6.16	15840+3600+24300=43740	15850+3600+24313=43763	23x1	23
1.7.16 से 31.7.16	15840+3600+24689=44129	15850+3600+24702=44152	23x1	23
1.8.16 से 31.12.16	15840+3600+24689+972=45101	15850+3600+24702+973=45125	24x5	120
1.1.17 से 31.5.17	15840+3600+26050+972=46462	15850+3600+26063+973=46486	24x5	120
1.6.17 से 31.7.17	16430+3600+26840+1002=47872	16440+3600+26854+1002=47896	24x2	48
1.8.17 से 30.11.17	16430+3600+26840+1803=48673	16440+3600+26854+1804=48698	25x4	100
		कुल योग		**₹702**

(घ) श्रीमती रमेश देवी सेवानिवृति सफाई कर्मचारी को वेतन निर्धारण में ₹2508 का अधिक भुगतान

नगर परिषद की सेवानिवृत कर्मचारी श्रीमती रमेश देवी की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को 27.8.2009 को वेतन ₹7210+1650 बनता है जबकि सेवा पंजिका में ₹7230+1650 निर्धारित किया गया है जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्नविवरणानुसार अधिक किए गए भुगतान की वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाए जाए। इसके अतिरिक्त सेवानिवृति पर दिए गए लाभों की संशोधित

वेतन पर गणना करने उपरान्त वसूली सुनिश्चित की जाए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	Due	Drawn	Diff.	Month	Excess Paid
27.8.19 से 31.8.09	BP+GP+DA=Total 7210+1650+2392=11252	BP+GP+DA=Total 7230+1650+2398=11278	26x5/31	-	4
1.9.09 से 31.12.09	7210+1650+2392=11252	7230+1650+2398=11278	26	4	104
1.1.10 से 30.6.10	7480+1650+3196=12326	7500+1650+3203=12353	27	6	162
1.7.16 से 31.12.10	7480+1650+4109=13239	7500+1650+4118=13268	29	6	174
1.1.11 से 30.6.11	7760+1650+4799=14209	7780+1650+4809=14239	30	6	180
1.7.11 से 31.12.11	7760+1650+5458=14868	7780+1650+5469=14899	31	6	186
1.1.12 से 30.6.12	8050+1650+6305=16005	8070+1650+6318=16038	33	6	198
1.7.12 से 31.12.12	8050+1650+6984=16684	8070+1650+6998=16718	34	6	204
1.1.13 से 30.6.13	8350+1650+8000=18000	8370+1650+8016=18036	36	6	216
1.7.13 से 31.12.13	8350+1650+9000=19000	8370+1650+9018=19038	38	6	228
1.1.14 से 30.4.14	8650+1650+10300=20600	8670+1650+10320=20640	40	4	160
1.5.14 से 24.5.14	8650+1650+10300=20600	8670+1650+10320=20640	40x24/31	-	31
25.5.14 से 31.5.14	8960+1900+10860=21720	8980+1900+10880=21760	40x7/31	-	9
1.6.14 से 30.6.14	8960+1900+10860=21720	8980+1900+10880=21760	40	1	40

1.7.14 से 31.12.14	8960+1900+11620=22480	8980+1900+11642=22522	42	6	252
1.1.15 से 31.5.15	9260+1900+12645=23805	9310+1900+12667=23877	72	5	360
			कुल योग		**₹2508**

(ङ) श्री विक्रमजीत सिंह वरिष्ठ सहायक को वेतन निर्धारण पर ₹4629 का अधिक भुगतान

नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि श्री विक्रम जीत सिंह वरिष्ठ सहायक को 1.8.2013 को ₹16480+3600 वेतन निर्धारित किया गया है जबकि गत प्रविष्टियों की गणनानुसार वेतन ₹16470+3600 बनता है। इसके अतिरिक्त श्री विक्रम जीत को 6.6.2015 से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने उपरान्त 1.11.15 से वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित करने पर वेतन निर्धारण ₹19070+4400 किया गया था जबकि पदोन्नति पर 1.11.15 को वेतन 19000+4400 बनता है। अतः निम्न विवरणानुसार श्री विक्रम जीत सिंह वरिष्ठ सहायक को ₹4630 का अधिक भुगतान हुआ जिस के बारे मे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किए गए भुगतान की वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

अवधि	देय	आहरित	Diff x month	Excess paid
1.8.13 से 31.10.13	BP+GP+DA+IR=Total 16470+3600+18063=38133	BP+GP+DA+IR=Total 16480+3600+18072=38152	19x3	57
1.11.13 से 31.12.13	17080+3600+18612=39292	17090+3600+18621=39311	19x2	38
1.1.14 से 30.6.14	17080+3600+20680=41360	17090+3600+20690=41380	20x6	120
1.7.14 से 31.10.14	17080+3600+22128=42808	17090+3600+22138=42828	20x4	80
1.11.14 से 31.12.14	17700+3600+22791=44091	17710+3600+22802=44112	21x2	42
1.1.15 से 31.5.15	17700+3600+24069=45369	17710+3600+24080=45390	21x5	105

1.6.15 से 5.6.15	17700+3600+274069=45369	17710+3600+24080=45390	21x5 day	7
6.6.15 से 30.6.15	17700+4400+24973=47073	177101+4400+24984=47094	25 days	18
1.7.15 से 31.10.15	17700+4400+26299=48399	17710+4400+26311=48421	22x4	88
1.11.15 से 31.12.15	19000+4400+27846=51246	19070+4400+27929=51399	153x2	306
1.1.16 से 30.6.16	19000+4400+29250=52650	19070+4400+29338=52808	158x6	948
1.7.16 से 31.7.16	19000+4400+29718=53118	19070+4400+29807=53277	159x1	159
1.8.16 से 31.10.16	19000+4400+29718+1170=54288	19070+4400+29807+1174=54451	163x3	489
1.11.16 से 31.12.16	19710+44001+30620+1206=55936	19780+4400+30709+1209=56098	162x2	324
1.1.17 से 31.7.16	19710+4400+32307+1206=57623	19780+4400+32401+1209=57790	167x7	1169
1.8.17 से 31.10.17	19710+4400+32307+2170=58587	19780+4400+32401+2176=58757	170x3	510
1.11.17 से 30.11.17	20440+4400+33286+2236=60362	20510+4400+33379+2242=60531	169x1	169
			कुल योग	**₹4629**

(च) श्री मान सिंह लिपिक व श्री कुलदीप कुमार Community organizer को उच्च पे बैण्ड प्रदान करने के फलस्वरूप ₹986 का अधिक भुगतान

नगर परिषद की कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि श्री मान सिंह व श्री कुलदीप कुमार को दो वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने उपरान्त 1.7.17 से उच्च पे बैंण्ड ₹10300+34800+3200 G.P. प्रदान किया गया था जबकि इन को यह लाभ दिनांक 7.7.2017 से दिया जाना अपेक्षित था। अतः निम्नविवरणानुसार अधिक की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

माह 7/2017 के दौरान भुगतान किया गया वेतन	माह 7/2017 के दौरान देय वेतन	अधिक भुगतान
34193	1.7.17 से 3.7.17 31138x5/31=5022	493
	1.7.17 से 31.7.17 34193x26/31=28678	
	33700	
श्री मान सिंह	₹493	
श्री कुलदीप कुमार	₹493	
कुल योग	**₹986**	

(छ) श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत) को Four Tier Pay Scale प्रदान करने पर ₹1.47 लाख का अधिक भुगतान

नगर परिषद के वाउचर संख्या 3.5 दिनांक 16.12.16 ₹110754 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री विनोद कुमार सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत) को 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 1.6.2010 से Four Tier Pay Scale का लाभ दिया गया था। जबकि वित विभाग की अधिसूचना संख्या Fin(PR) B(7)-59/2070 दिनांक 9.8.12 के अनुसार उक्त लाभ 1.1.11 से 8.8.12 तक ₹24660+7600 निम्न प्रकार से Notionally निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। अतः श्री विनोद कुमार सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत) को Four Tier Pay Scale प्रदान करने पर अधिक भुगतान के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक पाये गये ₹147899 भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता को सेवानिवृति पर मिलने वाले विभिन्न लाभों की संशोधित गणना करने उपरान्त वसूली सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	Basic Pay & Grade pay	
1.1.11	23720+7600	intirial statrt Notionally
1.1.12	24660+7600	Notionally upto 8.8.12 and actual w.e.f 9.8.12

1.1.13	25630+7600
1.1.14	26630+7600
1.1.15	27660+7600
1.1.16	28720+7600

Due & Drawan Statement of Sh. Vinod Kumar A.E. (Retired)

अवधि	**देय**	**आहरित**	**Diff. x month**	
1.6.10 से 30.6.10	BP+GP+DA+IR=Total 23280+6600+10458=40338	BP+GP+DA+IR=Total 23720+7600+10962=42282	1944x1	1944
1.7.10 से 31.12.10	23280+6600+13446=43326	23720+7600+14094=45414	2088x6	12528
1.1.11 से 30.6.11	24180+6600+15698=46478	24660+7600+16453=48113	2235x6	13410
1.7.11 से 31.12.11	24180+6600+17852=48632	24660+7600+18711=50971	2338x6	14028
1.1.12 से 30.6.12	25110+6600+20612=52322	25630+7600+21600=54830	2508x6	15048
1.7.12 से 31.7.12	25110+6600+22831=54541	25630+7600+23926=57156	2614x1	2614
1.8.12 से 8.8.12	25110+6600+22831=54541	25630+7600+23926=57156	2614x8 days	675
9.8.12 से 31.8.12	24660+7600+23227=55487	25630+7600+23926=57156	1669x23 days	1238
1.9.12 से 31.12.12	24660+7600+23227=55487	25630+7600+23926=57156	1669x4	6676
1.1.13 से 30.6.13	25630+7600+26584=59814	26630+7600+27384=61614	1800x6	10800
1.7.13 से 31.12.13	26630+7600+29907=63137	26630+7600+30807=65037	1900x6	11400
1.1.14 से 30.6.14	25630+7600+34230=68460	27660+7600+35260=70520	2060x6	12360

1.7.14 से 31.12.14	26630+7600+36626=70856	27660+7600+37728=72988	2132x6	12792
1.1.15 से 30.6.15	27660+7600+39844=75104	28720+7600+41042=77362	2258x6	13548
1.7.15 से 31.12.15	27660+7600+41959=77219	28720+7600+43221=79541	2322x6	13932
1.1.16 से 28.1.16	28720+7600+45400=81720	29810+7600+46763=84173	2453x2	4906
			कुल योग	**₹147899**

(ज) उच्च वेतनमान 4–9–14 में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ दिये जाने पर श्री ललित कुमार व श्री प्रवीण कुमार को ₹280735 का अधिक भुगतान

नगर परिषद मण्डी के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि श्री ललित कुमार कनिष्ठ अभियन्ता व श्री प्रवीण कुमार कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 27.8.2009 से उच्च वेतनमान 4–9–14 में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया जोकि नियमानुसार देय नहीं था। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या Fin (PR)-B(7)-59/2010 दिनांक 27.9.2012 Revision of pay structure under the career progression scheme applicable to Junior Engineer द्वारा निर्धारित किया जाना आपेक्षित था। गलत वेतन निर्धारित करने फलस्वरूप सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं को ₹280735 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

Due and drawn Statement due to wrong benefit of 4-9-14 after completion of 9 year service by Sh. Lalit Kumar J.E. (W.e.F. 27.8.2009) date of appointment 5.6.2000

Period	Due	Drawn	Excess paid	months	Total Recovery
1.7.09 to 31.7.09	BP+GP+DA+IR=Total 15300+4200+5265 =24765	BP+GP+DA+IR=Total 15300+4200+5265 =24765	-	-	-
1.8.09 to 26.8.09	15300+4200+5265 =24765 26 days= 20771	15300+4200+5265 =24765 26 days= 20771	-	-	-
27.8.09 to 31.8.	15300+4200+5265	ACP 4-9-14 after 9	162	5 days	162

	=24765 5days =3994	years of of service 15890+4400+5478 =25768 5 days=4156			
1.9.09 to 31.12.09	15300+4200+5265 =24765	15890+4400+5478 =25768	1003	4	4012
1.1.10 to 31.5.10	15300+4200+6825 =26325	15890+4400+7101 =27392	1067	5	5335
1.6.10 to 30.6.10	15890+4200+7032 =27122	16500+4400+7315 =28215	1093	1	1093
1.7.10 to 31.12.10	15890+4200+9041 =29131	16500+4400+9405 =30305	1174	6	7044
1.1.11 to 31.5.11	15890+4200+10246=30336	16500+4400+10659=31559	1223	5	6115
1.6.11 to 30.6.11	16500+4200+10557=31257	17130+4400+10980=32510	1253	1	1253
1.7.11 to 31.12.11	16500+4200+12006=32706	17130+4400+12487=34017	1311	6	7866
1.1.12 to 31.5.12	16500+4200+13455=34155	17130+4400+13995=35525	1370	5	6850
1.6.12 to 30.6.12	17130+4200+13865=35195	17780+4400+14417=36597	1402	1	1402
1.7.12 to 30.9.12	17130+4200+15358=36688	17780+4400+15970=38150	1462	3	4386
Career progression scheme to J.E. after 10 year of service 1.10.2012					
1.10.12 to 31.12.12	17130+5400+16222=38752	17780+5400+16690=39870	1118	3	3354
1.3.13 to 30.5.13	17130+5400+18024=40554	17780+5400+18544=41724	1170	5	5850
1.6.13 to 30.6.13	17810+5400+18568=41778	18480+5400+19104=42984	1206	1	1206
1.7.13 to 31.12.13	17810+5400+20889=44099	18480+5400+21492=45372	1273	6	7638
1.1.14 to 31.5.14	17810+5400+23210=46420	18480+5400+23880=47760	1340	5	6700
1.6.14 to 30.6.14	18510+5400+23910=47820	19200+5400+24600=49200	1380	1	1380
1.7.14 to 31.12.14	18510+5400+25584=49494	19200+5400+26322=50922	1428	6	8568
1.1.15 to 31.5.15	18510+5400+27018=50928	19200+5400+27798=52398	1470	5	7350
1.6.15 to 30.6.15	19230+5400+27832=52462	19940+5400+28634=53974	1512	1	1512
1.7.15 to 31.12.15	19230+5400+29310=53940	19940+5400+30155=55495	1515	6	9330
1.6.16 to 31.5.16	19230+5400+30788=55418	19940+5400+31675=57015	1597	5	7985
1.6.16 to 30.6.16	19970+5400+31713=57083	20700+5400+32625=58725	1642	1	1642
1.7.16 to 31.7.16	19970+5400+32981=58351	20700+5400+33930=60030	1679	1	1679
1.8.16 to 31.12.16	19970+5400+32981+1269=59620	20700+5400+33930+1305=61335	1715	5	8575

1.7.17 to 31.5.17	19970+5400+3399 6+1269=60635	20700+5400+3497 4+1305=62379	1744	5	8720
1.6.17 to 31.7.17	20740+5400+3502 8+1307=62475	21490+5400+3603 3+1345=64268	1793	2	3586
1.8.17 to 30.11.17	20740+5400+3502 8+2353=63521	21490+5400+3603 3+2420=65343	1822	4	7288
				Total	**137881**

Due and drawn statement due to wrong benefit of 4-9-14 after completion of 9 years service to sh. Parveen Kumar Sharma J.E. CW e.f. 27.8.2009 date of Appointment 1.4.99

Period	Due	Drawn	Excess paid	months/days	Total Recovery
1-3-09 to 31-3-09	BP+GP+DA+IR=Total 15160+4200+4259 =23619	BP+GP+DA+IR=Total 15160+4200+4259= 23619	-	-	-
		Difference due to rounding off increment			
1-4-09 to 30-6-09	15740+4200+4387 =24327	15750+4200+4389= 24339	12	3	36
1-7-09 to 31-7-09	15740+4200+5384 =25324	15750+4200+5387= 25337	13	1	13
1-8-09 to 26-8-09	15740+4200+5384 =25324	15750+4200+5387= 25337	13	26 days	11
	Benefit of A.C.P. 4-9-14 after 9 year service w.e.f 27.8.09				
27-8-09 to 31-8-09	15740+4200+5384 =25324	16350+4400+5603= 26353	1029	5 days	166
1-9—9 to 31-12-19	15740+4200+5384 =25324	16350+4400+5603= 26353	1029	4	4116
1-1-10 to 31-3-10	15740+4200+6979 =26919	16350+4400+7263= 28013	1094	3	3282
1-4-10 to 30-6-10	16340+4200+7189 =27729	16980+4400+7483= 28863	1134	3	3402
1-7-10 to 31-12-10	16340+4200+9243 =29783	16980+4400+9621= 31001	1218	6	7308
1-1-11 to 31-3-11	16340+4200+10475=31015	16980+4400+10904 =32284	1269	3	3807
1-4-11 to 30-6-11	16960+4200+10792=31952	17630+4400+11235 =33265	1313	3	3939
1-7-11 to 31-12-11	16960+4200+12273=33433	17630+4400+12777 =34807	1374	6	8244
1-1-12 to 31-3-12	16960+4200+13754=34914	17630+4400+14320 =36350	1436	3	4308
1-4-12 to 30-6-12	17600+4200+14170=35970	18290+4400+14749 =37439	1469	3	4407
1-7-12 to 30-9-12	17600+4200+15696=37496	18290+4400+16337 =39027	1531	3	4593
	carresr progression scheme to J.E. after 10 years of service w.e.f 1.10.2012				
1-10-12 to 31-12-12	BP+GP+DA+IR=Total 17600+5400+1656	BP+GP+DA+IR=Total 18290+5400+17057	1187	3	3561

	0=39560	=40747			
1-1-13 to 31-3-13	17600+5400+18400=41400	18290+5400+18952=42642	1242	3	3726
1-4-13 to 30-6-13	18290+5400+18952=42642	19000+5400+19520=43920	1278	3	3834
1-7-13 to 31-12-13	18290+5400+21321=45011	19000+5400+21960=46360	1349	6	8094
1-1-14 to31-3-14	18290+5400+23690=47380	19000+5400+24400=48800	1420	3	4260
1-4-14 to 30-6-14	19000+5400+24400=48800	19740+5400+25140=50280	1480	3	4440
1-7-14 to 31-12-14	19000+5400+26108=50508	19740+5400+26900=52040	1532	6	9192
1-1-15 to 31-3-15	19000+5400+27572=51972	19740+5400+28408=53548	1576	3	4728
1-4-15 to 30-6-15	19740+540028408=53548	20500+5400+29267=55167	1619	3	4857
1-7-15 to 31-12-15	19740+5400+29917=55057	20500+5400+30821=56721	1664	6	9984
1-1-16 to 31-3-16	19740+5400+31425=56565	20500+5400+32375=58275	1710	3	5130
1-4-16 to 30-6-16	20500+5400+32375=58275	21280+5400+33350=60030	1755	3	5265
1-7-16 to 31-7-16	20500+5400+33670=59570	21280+5400+34684=61364	1794	1	1794
1-8-16 to 31-12-16	20500+5400+33670+1295=60865	21280+5400+34684+1334=62698	1833	5	9165
1-1-17 to 31-3-17	20500+5400+34706+1295=61901	21280+5400+35751+1334=63765	1864	3	5592
1-4-17 to 31-7-17	21280+5400+35751+1334=63765	22080+5400+36823+1374=65677	1912	2	3824
1-8-17 to 30-11-17	21280+5400+35751+2401=64832	22080+5400+36823+2473=66776	1944	4	7776
				Total	**₹142854**

14 श्री हंस राज वर्क सुपरवाईजर व श्री सुरेश कुमार वर्क सुपरवाईजर को जूनियर टैक्निशिनयन के पद पर Re-designate करने बारे

श्री हंस राज जूनियर टेकनिशियन व श्री सुरेश कुमार, जूनियर टेकनिशियन की सेवा पंजिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आदेश संख्या MCM-Mandi 3603-45 दिनांक 6.6.2015 द्वारा वर्क सुपरवाईजर के पद से Redesignate करके जूनियर टेकनिशियन ग्रेड–II व I पर थ्री टायर के वेतन में वेतन निर्धारित किया गया। उपरोक्त पदों पर 1.10.12 से पद/प्रवर्ग वार वेतन संशोधन वित विभाग की अधिूसूचना संख्या Fin (PR)B(7)-45/2010 दिनांक 29.5.2014 के सन्दर्भ में किया गया जिसे निदेशक शहरी विकास शिमला द्वारा लागू करने बारे अभिलेख/पत्र अंकेक्षण में

प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR) ©(B)(7) 6/88 VI दिनांक 11.8.1998 व अधिसूचना संख्या Fin (PR) B (7)-45-2010 दिनांक 29.5.14 के सन्दर्भ में पद नाम का संशोधन करने से सम्बन्धित Non ministrial municipal level services (Recruitment and Promotion and other condition Service Rules 2005 की प्रति जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण आदेश व सेवा पंजिका में प्रविष्टियों का सत्यापन जोकि सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 नगर परिषद सीमा में विज्ञापनों से आय पर विज्ञापन ऐजेसियों से सर्विस टैक्स न वसूलने के कारण ₹1.68 लाख की हानि

नगर परिषद मण्डी द्वारा वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 के दौरान नगर परिषद सीमा के अन्दर विभिन्न विज्ञापन ऐजेंसियों को विज्ञापन/होर्डिंग स्थापित करने हेतु ठेके आबंटित किए गए थे। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित विज्ञापन ऐजेसिंयों से विज्ञापन ठेकों से प्राप्त राशि पर आबंटन पत्र की शर्तों अनुसार सर्विस टैक्स की वसूली नहीं की गई थी। उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39 दिनांक 1.12.2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया। विज्ञापन ऐजेसिंयों से सर्विस टैक्स न वसूलने के फलस्वरूप राजकीय कोष को ₹168304 की हानि हुई है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार इस राशि की वसूली सम्बन्धित विज्ञापन ऐजेसिंयों से कर के राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	फर्म का नाम	वर्ष	स्थान	ठेके से प्राप्त राशि	सर्विस टैक्स @12.36%
1	मै0 सुपर पबलिसिटी प्रा0 लि0 चण्डीगढ़	2015–16	Trafic umbrella and Police beat box	22000	2719.20
2	मै0 नरायन आर्ट प्रिंटर	2015–16	Railing above common pen house	409500	50614.20
3	मै0 सुपर पब्लिसिटी प्रा0लि0 चण्डीगढ़	2015–16	M.C. market Narender bookstall	360000	44496.00

4	मै0 जे0आर0 फर्नीचर उद्योग मण्डी	2015–16	Alongwith indira Market railing	37000	4573.20
5	मै0 सुपर पब्लिसिटी प्रा0लि0 चण्डीगढ़	2015–16	At kargil Park and Tarana park	116000	14337.60
6	मै0 सुपर पब्लिसिटी प्रा0लि0 चण्डीगढ़	2015–16	Hotel k.city and koyal hotel	310000	38316.00
7	मै0 नरायन आर्ट प्रिंटर मण्डी	2015–16	over toilets and rain shelters	105000	12978.00
			कुल राशि		**₹168034.20**

16 श्री बसीम अरूतर (GIS Expert) को यात्रा भत्ता दावा का ₹731 का अधिक भुगतान

नगर परिषद मण्डी के लेखों अवधि 2016–17 के चयनित माह 12/2016 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री वसीम अख्तर (GIS Expert) को दिल्ली प्रवास पर यात्रा भतो दावा ₹6094 का भुगतान किया गया। वाउचर संख्या 7 दिनांक 12/2016 (TA Bill) की जाँच करने पर पाया गया कि श्री बसीम अखतर द्वारा यात्रा भत्ते दावा बिल के साथ वोल्वों बस की टिकट संलग्न नहीं की गई थी तथा यात्रा करने के समय बढ़ी हुई दर से भत्ता दावा किया गया जबकि यात्रा के दौरान साधारण दर पर भता देय था। अतः उक्त अधिकारी को निम्न विवरणानुसार ₹731 का अधिक भुगतान हुआ जिसकी सम्बन्धित अधिकारी से वसूली की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	**भुगतान (₹)**	**देय राशि**	**अधिक भुगतान**
3.11.16 onward journly	1422	1168	254
3.11.16 Delhi	2250	2250	–
4.11.16 Return Journey	1422	945	477
Local Transport charges	1000	1000	–
	6094	**5363**	**731**

17 श्रीमती पूजा, सफाई ठेकेदार को ₹7200 का अधिक भुगतान

नगर परिषद मण्डी के अवधि 2016–17 के दौरान वार्ड संख्या 12 के सफाई ठेकों की निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि श्रीमती पूजा सफाई ठेकेदार के पक्ष में नेगोशियेशन (Negotiaion) उपरान्त ₹34400 प्रतिमाह सफाई व कूड़ा एकत्रित करने का ठेका तय किया गया था। वाउचर संख्या 25 दिनांक 7.12.2016 की जाँच करने पर पाया गया कि की श्रीमती पूजा सफाई ठेकेदार को ₹35000 की दर से भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार सफाई ठेकेदार को अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक ₹7200 (35000–₹34400=600X12) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी उपरोक्त सफाई ठेकेदार से वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

18 संविदाकार को ₹1109 का अधिक भुगतान

वाउचर संख्या 54 माह 12/2016 ₹200000

संविदाकार का नाम	श्री बख्शी राम
माप पुस्तिका सं0	116 पेज 27
कार्य का नाम	Providing wire upside & D.C. Rsesidence Purani Mandi
कार्य आबंटन सं0	MC works (32321-38 dt. 29.7.16

उपरोक्त बिल की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1109 का अधिक भुगतान किया गया जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा किया जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

मद सं0	मद का नाम	गणना जिस का भुगतान किया गया	वास्तविक गणना	अधिक गणना दर	दर	अधिक किया गया भुगतान
2	P/L cement concrete 1:2:4 20mm nominal size	5.46	5.34	0.12	4350	522

5	Providing two coat excluding priming cost on new steel	Rate 65.21x79= 5151.79	Rate 65.21x70= 4564.70	-	-	587
			कुल योग			₹1109

19 लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन पर ₹0.11 लाख का अनियमित व्यय

नगर परिषद मण्डी के चयनित माह 12/2016 के विज्ञापन से सम्बन्धित वाउचर संख्या 36 दिनांक 13.12.16 ₹11390 की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा हिमाचल सरकार द्वारा समय पर जारी निर्देशानुसार विज्ञापन DAVP दरो पर हिमाचल लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित थे परन्तु उपरोक्त प्रकरण में इन अनुदेशों की अवहेलना करके विज्ञापन को उच्च्च दरों पर छपवाया गया था, जोकि सरकार के आदेशों की अवहेलना है। अतः उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 नगर परिषद मण्डी के विभिन्न वार्डो की सफाई व्यवस्था हेतु किए गए अनुबन्ध एवं किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

नगर परिषद मण्डी के विभिन्न वार्डो की अवधि 2015–16, 2016–17 के सफाई व्यवस्था से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निविदाओं को आमन्त्रित व ठेका आबंटन करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिन के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में सफाई ठेकों की आबंटन प्रक्रिया को नियमानुसार जाँच कर ठेकों का आबंटन किया जाए। अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Name of ward/place		Remarks
1	Toilet near Mandi Town (2015-16) Contractor Sh. Ravi Singh	(i)	टेण्डर नोटिस के विरूद्ध तीन ठेकेदारों से निविदाएं प्राप्त की गई थी जिनमें किसी भी ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं पाए गए।
		(ii)	श्री रवि सिंह संविदाकार से प्राप्त प्रतिभूति (Earnest

			money) की प्रविष्टि नहीं बताई गई
2	Collection of Garbage ward I (2015-16) Contractor-Sh. Amit Kumar	(i)	प्रतिभूति (Earnest money) की प्रविष्टियाँ नहीं बताई गई
3	Segration at Dumping site station (2015-16) Contractor Sh. Naresh Kumar	(i)	टेण्डर नोटिस के विरूद्ध तीन निविदाएं प्राप्त की गई थी जिनमें श्री लेख राज व श्री फादीं राम की निविदाओं में हस्ताक्षर नहीं पाए गए।
4	Cleaning & collection of garbage ward 4 (2015-16) Contractor Sh.Mukesh Kumar	(i)	श्री मुकेश कुमार संविदाकार द्वारा भरी गई निविदा में हस्ताक्षर नहीं पाए गये
		(ii)	प्रतिभूति (Earnest money) प्राप्त नहीं की गई
		(iii)	न्यूनतम दर का संविदाकार द्वारा लिखित Negotation Letter नहीं लिया गया।
5	Cleaning and collection Garbage ward 10 (2015-16) Cont.Sh. Mukesh Kumar	(i)	न्यूनतम दर का संविदाकार द्वारा लिखित Negotiation letter नहीं लिया गया।
6	Cleaning and collection of Garbage ward 3 (2015-16) contractor Sh. Sanjeev Kumar	(i)	न्यूनतम दर का संविदाकार द्वारा लिखित negotiation letter नहीं लिया गया।
		(ii)	प्रतिभूति राशि (Earnest money/Security) प्राप्त नहीं की गई।
7	Cleaning and	(i)	श्रीमती सन्तोष कुमारी संविदाकार द्वारा भरी गई

	collection of Garbage ward 11 (2015-16) Cont.Smt. Santosh Kumari		निविदा में हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
		(ii)	न्यूनतम दर का संविदाकार द्वारा लिखित Negotiation letter नहीं लिया गया।
8	Collection of user charges of room commercial area including transportation of Garbage Cont.Sh. Sanjeev Kumar	(i)	टेण्डर नोटिस के विरूद्ध तीन संविदाकारों से निविदाएं प्राप्त की गई जिनमें दो संविदाकारों द्वारा कुछ नहीं भरा था तथा श्री संजीव कुमार द्वारा निविदा में ₹1000 प्रतिमाह का रेट भरा था। उक्त संविदाकार के साथ negotiation करते समय रेट को ₹10000 कर दिया गया जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व Single tender को संज्ञान अधिकारी की स्वीकृति लेकर के नियमित किया जाए।
9	Cleaning & collection of Garbage ward No. 13 (2015-16) Cont. Smt. Sapana Devi	(i)	न्यूनतम पर का संविदाकार से लिखित Negotiation letter नहीं लिया गया।
		(ii)	प्रतिभूति राशि (Earnest money/Security) प्राप्त नहीं की गई।
10	Cleaning and collection of Garbage ward 2 (2015-16) Cont. Sh. Sahil Kumar	(i)	टेण्डर नोटिस के विरूद्ध तीन ठेकेदारों में से श्री मुकेश द्वारा भरी गई निविदा में हस्ताक्षर नहीं पाए गए।
		(ii)	प्रतिभूति राशि (Earnest money/Security) प्राप्त नहीं की गई।
11	Cleaning and collection of	(i)	टेण्डर संविदाकारों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किए गए थे

	Garbage ward 8 year 2016-17 Contractor- Sh. Sanjeev Kumar		
		(ii)	न्यूनतम दर का संविदाकार द्वारा लिखित negotiation letter नहीं लिया गया।
12	Cleaning and collection of garbage ward No. 4 year 2016-17 Contractor Sh.Sanjeev Kumar	(i)	न्यूनतम दर का संविदाकार द्वारा लिखिक negotiation letter नहीं लिया गया।
13	Cleaing and collection of garbage ward 12 year 2016-17 Cont. Smt. Pooja	(i)	टेण्डर नोटिस के विरूद्ध चार संविदाकारों मे से श्रीमती पूजा व श्री अमर कुमार द्वारा भरे गए टेण्डर हस्ताक्षरित नहीं थे।

21 नगर परिषद मण्डी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं व निजि नस्तियों एवं वेतन से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि कर्मचारियों को कोई भी लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे। सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियाँ करके सीधे ही कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाता रहा। वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 के दौरान सभी कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि व कुछ कर्मचारियों को (4–9–14)ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया था। लेकिन किसी भी कर्मचारी के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश जारी नहीं किए गए थे तथा सेवा पुस्तिकाओं में बार–बार बिना किसी आधार पर प्रविष्टियाँ कर दी जाती है व कई बार उन्हें गत वर्षों से प्राप्त लाभों/वेतन वृद्धियों के साथ दोबारा संशोधित कर दिया जाता है। कर्मचारियों को कोई भी लाभ प्रदान करने बारे आदेश जारी किए बिना लाभ प्रदान करना व वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते समय वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र जारी न करना एक गम्भीर अनियमितता है। भविष्य में कार्यालय आदेशों के बिना सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियाँ न की जाए व कोई भी लाभ प्रदान करने के समर्थन में कार्यालय आदेश जारी किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

22 बिजली उपकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर को तैयार न किया जानाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एलएसजी—(डी) (1)—9/94 दिनांक 1.12.99 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र की परिधि में खपत होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्वतः स्पष्ट बिजली उपकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में वर्ष 2015—16 वर्ष 2016—17 में उपकर की राशि प्राप्ति से सम्बन्धित सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी कि कितनी राशि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त की जानी आपेक्षित थी और कितनी राशि प्राप्त की गई है। अतः उपकर के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट बिजली शुल्क मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए तदानुसार आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

23 शराब उपकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर को तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0एलबी—एच (सी) (9)—28/96—1 दिनांक 1.12.99 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1 प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को शराब उपकर भुगतान किया जाना आपेक्षित था। नगर परिषद को आबककारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई राशि के सन्दर्भ में नगर परिषद क्षेत्र में विक्रय की गई बोतलों की संख्या सूचित नहीं की गई जिसकी अनुपस्थिति में नगर परिषद को शराब उपकर के रूप में प्राप्त आय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्बन्धित विभाग से शराब उपकर राशि की प्राप्ति के समय कुल बेची गई बोतलों की संख्या की जानकारी भी सुनिश्चित की जाए तथा शराब उपकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

24 पशुवध शुल्क न वसूलने बारे

नगर परिषद के पशुवध शुल्क रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015—16 में दिनांक 19.9.15 तक ₹29600 पशुवध शुल्क वसूला गया था तथा इसके बाद 31.3.2017 तक पशुवध शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। पशुवध शुल्क नहीं वसूलने के कारण नगर परिषद को अवधि 10/2015 से 3/2017 तक औसतन ₹5000

प्रतिमाह की दर से लगभग ₹90000 आय की हानि हुई है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकार की अनियतिता की जाँच करके सक्षम अधिकारी से आय की हानि को नियमित करवाया जाए। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 परिषद निधि से विभिन्न विभागों/संगठनों को निक्षेप कार्यों/सहायता स्वरूप राशि प्रदान करने के सन्दर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने बारे

नगर परिषद मण्डी के अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार डिपोजिट कार्यों/सहायता स्वरूप राशियाँ प्रदान की गई थी जिन के सम्बन्ध में विभागों/संगठनों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अभिलेख में रखे जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

माह	**विवरण**	**राशि**
5/15	भ्यूली मेला समिति मण्डी	35000
5/15	सचिव, खेल परिषद मण्डी	200000
7/15	अधिशासी अभियन्ता P.W.D. मण्डी	200000
8/15	स्वयं सहायता समूह संगठन	340000
10/15	NULM	260000
2/16	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डी	50000000
3/16	–यथोपरि–	29823000
3/17	मण्डी साक्षरता समिति	–50000
	कुल योग	**₹80808000**

26 वर्गीकृत सार (Classified abstroct) का लेखांकन न करना

नगर परिषद मण्डी द्वारा हिमाचल प्रदेश पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दरों की वसूली की जा रही है तथा इसी प्रकार विभिन्न मदों पर क्रय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आय व व्यय के लिए मद व पृथक–2 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत सार तैयार नहीं किया गया था। मदवार सार तैयार न करने की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता कि एक निश्चित अवधि विभिन्न मदों में आय व व्यय की कितनी मांग थी कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान हेतु शेष थी। अतः अनुपालना हेतु

सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय व्यय की खाता बहियाँ तैयार की जाए ताकि प्रत्येक मद के सही आंकड़े प्राप्त हो सके कृत कार्यवाही के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

27 नगर परिषद के विभिन्न वाहनों की मासिक औसत व यात्रा का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न करना

नगर परिषद की विभिन्न वाहनों की अवधि 1.4.15 से 31.3.17 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद के वाहनों की मासिक औसत का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था तथा कई प्रकरणों में सम्बन्धित चालक व कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई थी। उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इन अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे में अपेक्षित कार्यवाही करके वाहनों की लॉग बुक का नियमानुसार रख रखाव किया जाए। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	गाड़ी सं0		अवधि व कि0मी0 सं0		टिप्पणी
1	एच0पी0–33 बी 0375	(i)	21.5.15 से 8.6.15 तक 13856 कि0मी0 से 139959 कि0मी0 4.7.15 सये 8.11.16 141912 कि0मी0 से 145651 कि0मी0	(i)	लॉग बुक सम्बन्धित चालक व कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई।
		(ii)	औसत 4.5कि0मी0 / ली0	(ii)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।
2	एच0पी0–65 –1669	(i)	1.4.15 से 31.3.17 तक	(i)	लॉग बुक सम्बन्धित चालक व कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई।

		(ii)	औसत 6.48 / ली0	(ii)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।
3				(iii)	दिसम्बर 2016 में लॉग बुक में 53 ली0 डीजल शेष दर्शाया गया था जबकि गणना अनुसार 31.12.16 को 54 ली0 डीजल शेष होना चाहिए था।
3	एच0पी0–33 –6348	(i)	5.4.15 से 8.4.15 तक 30324 कि0मी0 से 30606 कि0मी0 24.8.15 से 7.11.2017 तक 31078 कि0मी0 से 43771 कि0मी0	(i)	लॉग बुक सम्बन्धित चालक व कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई।
		(ii)	औसत 3.72 किमी0	(ii)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
4	एच0पी0–33 बी–0371	(i)	1.4.15 से 31.3.17	(i)	लॉग बुक सम्बन्धित चालक व कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई।
		(ii)	औसत 14.98 कि0मी0	(ii)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
5	एच0पी0–33 बी–0507	(i)	औसत 3 कि0मी0	(i)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

6	एच0पी0–33 बी–0372	(i)	औसत 15 कि0मी0	(i)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
7	एच0पी0–33 बी–5258	(i)	5.6.15 से 8.3.16 तक 24.6.16 से 13.2.17 तक	(i)	वाहन को नगर परिषद कार्य हेतु प्रयोग नहीं किया गया।
		(ii)	औसत 15 कि0मी0	(ii)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
8	एच0. पी0–33–38 096	(i)	औसत 15 कि0मी0	(i)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
9	एच0पी0–33 डी–149	(i)	1.4.15 से 31.3.17	(i)	लॉग बुक कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई।
		(ii)	औसत 4.51 कि0मी0	(ii)	औसत को क्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
10	एच0पी0–30 –2100	(i)	17.5.15 से 29.6.16 तक 23050 कि0मी0 24727 कि0मी0	(i)	लॉग बुक को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
		(ii)	औसत 10.28 कि0मी0	(ii)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।
11	एच0पी0–33 डी–0150	(i)	औसत 4.5 कि0मी0	(i)	औसत को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।
		(ii)	3.10.15 तक प्रयोग किया गया	(ii)	नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया

28 सम्बन्धित अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करना

नगर परिषद मण्डी की अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित व्यय वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें तैयार करके/ढूंढ करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0	माह	उद्देश्य	राशि		टिपपणी
37	10/15	गाडियों की बीमा	35746	(i)	गाडियों से सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई
13	12/16	होण्डा पम्प की खरीद व अन्य सामान	48825	(i)	स्टॉक/स्टोर प्रविष्टियाँ सक्षम विक्रेता (डीलर) सर्टिफिकेट व निविदाएं सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।
20	12/16	गाडियों का बीमा	33582	(i)	गाडियों से सम्बन्धित रज्स्टिर में प्रविष्टियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई
21	12/16	ओनरेरियम का भुगतान (सेवानिवृत कर्मचारियों को)	19350	(i)	ओनरेरियम भुगतान करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध व शर्ते सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए किए
27	12/16	NULM हेतु विभिन्न रजिस्टरों को मुद्रण	28000	(i)	निविदाएं व स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए ।
37	12/16	अस्थाई शौचालय निर्माण (Temporary	199290	(i)	सम्पत्ति रजिस्टर /स्टोर रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई

		Toilet installation)			
45	12/16	Payment to Tally oprator	14000	(i)	अनुबन्ध व शर्त सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए
52	12/16	Purchase of cloth for bag	20075	(i)	स्टॉक प्रविष्टि सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई

29 नगर परिषद निधि से ₹1.55 लाख का अनियमित भुगतान

नगर परिषद मण्डी के चयनित माह 10/2015 व 12/2016 के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों पर भुगतान किए गए जोकि नगर परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित रूप से किए गए भुगतान की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**दिनांक**	**विवरण**	**वा0सं0**	**राशि**
1	5.10.15	दशहरा उत्सव मनाने हेतु	20	60000
2	22.12.15	–यथापेरि– (समायोजन बिल 126000–60000)	73	66000
3	13.12.16	नवज्योति कला मंच	33	10000
4	20.12.16	परिषद कार्यालय के उद्घाटन पर धाम का आयोजन	38	19450
			कुल योग	**₹155450**

30 अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना

नगर परिषद मण्डी के लेखाओं अवधि 1.4.15 से 31.3.17 तक के अंकेक्षण के दौरान निम्मिलिखित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(1) पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि रोकड़ बही
(2) संविदाकार खाताबही
(3) प्रतिभूति रजिस्टर/रोकड़ बही

(4) 2015–16 व 2016–17 का बजट रजिस्टर

(5) शासकीय डाक टिकटों की अभिलेख

(6) टैन्डर फार्म विक्रय रजिस्टर

(7) अग्रिम रजिस्टर

31 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

32 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या :– V(46)/2013-फिन(एल0ए0)–खण्ड–2-4096-4097 दिनांक, 04.06.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत (1) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस कार्यालय को अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

(2) निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002.

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट– "I" **पैरा 1(ग) से सन्दर्भित**

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 3/1993 तक

अवधि 3/1993 तक के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्तमान अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किए, जिन्हें उचित माध्यम से प्राप्त करके तथा अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना हेतु अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994

1.	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
4.	पैरा 6	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(क)(ख)	अनिर्णीत
6.	पैरा 9	अनिर्णीत
7.	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
8.	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
9.	पैरा 11(ड़)	अनिर्णीत
10.	पैरा 11(च)	अनिर्णीत
11.	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
12.	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
13.	पैरा 12(ग)(1)	अनिर्णीत
14.	पैरा 12(ग)(2)	अनिर्णीत
15.	पैरा 12(ड़)	अनिर्णीत
16.	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
17.	पैरा 12(छ)(1)	अनिर्णीत
18.	पैरा 12(छ)(2)	अनिर्णीत
19.	पैरा 12(ज)	अनिर्णीत
20.	पैरा 12(झ)	अनिर्णीत
21.	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
22.	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
23.	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
24.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
25.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
26.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
27.	पैरा 16	आंशिक निर्णीत
28.	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
29.	पैरा 19(4)	अनिर्णीत

30.	पैरा 19(5)	अनिर्णीत
31.	पैरा 19(6)	अनिर्णीत
32.	पैरा 19(7)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1996

1.	पैरा 5(क,ख,ग,ड़)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6	अनिर्णीत
3.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
6.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
7.	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
9.	पैरा 10	आंशिक निर्णीत
10.	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
11.	पैरा 13	आंशिक निर्णीत
12.	पैरा 14(ख)(1)(2)(3)	आंशिक निर्णीत
13.	पैरा 14(ग)	आंशिक निर्णीत
14.	पैरा 15(1)(2)(5)(6)	अनिर्णीत
15.	पैरा 15(7)	अनिर्णीत
16.	पैरा 15(8)	अनिर्णीत
17.	पैरा 15(9)(10)	अनिर्णीत
18.	पैरा 15(1)से(5)	अनिर्णीत
19.	पैरा 15(12)(1)(2)(3)	अनिर्णीत
20.	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
21.	पैरा 15(17)(18)(19)	अनिर्णीत
22.	पैरा 16(4)(5)	अनिर्णीत
23.	पैरा 18(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
24.	पैरा 19(1)(2)(3)	अनिर्णीत
25.	पैरा 19(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
26.	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
27.	पैरा 21(क)(ख)	अनिर्णीत
28.	पैरा 22(1)(2)	अनिर्णीत

	29.	पैरा 22(6)(7)	अनिर्णीत
	30.	पैरा 23	अनिर्णीत
(घ)	**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2001**		
	1.	पैरा 5(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
	2.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
	3.	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
	4.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
	5.	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
	6.	पैरा 16(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
	7.	पैरा 17(1 से 5)(8 से 11) (14,15,17,20,21,22,24,25,27)	अनिर्णीत
	8.	पैरा 18	अनिर्णीत
	9.	पैरा 20(1)(2)(5)(6)(7)(8)	अनिर्णीत
	10.	पैरा 22	अनिर्णीत
	11.	पैरा 25	अनिर्णीत
(ण)	**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002**		
	1.	पैरा 5(1)(क)(ख)(ग)(2)	अनिर्णीत
	2.	पैरा (7)(8)(9)	अनिर्णीत
	3.	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
	4.	पैरा 12(3)	अनिर्णीत
(च)	**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007**		
	1.	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
	2.	पैरा 4(सी)(1)	अनिर्णीत
	3.	पैरा 4(सी)(2)	अनिर्णीत
	4.	पैरा 4(सी)(3)	अनिर्णीत
	5.	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
	6.	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
	7.	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत
	8.	पैरा 5(डी)	अनिर्णीत
	9.	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत
	10.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
	11.	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
	12.	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
	13.	पैरा 6(5)	आंशिक निर्णीत
	14.	पैरा 6(6)	अनिर्णीत

15.	पैरा 6(8)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 7(9)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 7(9)(1)	अनिर्णीत	
22.	पैरा 7(10)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 7(11)	अनिर्णीत	
24.	पैरा 7(12)	अनिर्णीत	
25.	पैरा 7(13)	अनिर्णीत	
26.	पैरा 8(2)	अनिर्णीत	
27.	पैरा 8(3)	अनिर्णीत	
28.	पैरा 8(4)	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1.	पैरा 5(क)	आंशिक निर्णीत	(क्र0सं0 1, 2, 3, 5 व 11 निर्णीत)
2.	पैरा 7(2)(क) (क्र०सं० 1 से 48) व (ख)	आंशिक निर्णीत	(₹14,07,774 के संदिग्ध गवन में से ₹11,56,334 की वसूली की गई है)
3.	पैरा 8	अंशतः निर्णीत	
4.	पैरा 9	अनिर्णीत	
5.	पैरा 11	अनिर्णीत	
6.	पैरा 12	अंशतः निर्णीत	
7.	पैरा 13	अंशतः निर्णीत	(क्र०सं० 1 व 2 में ₹6083 की वसूली शेष है)
8.	पैरा 14(1)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 14(2)(I, II & III)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 15	अनिर्णीत	
11.	पैरा 16	अनिर्णीत	
12.	पैरा 17(i)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 17(ii)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 17(iii)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 17(iv)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 17(v)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 17(vi)	अनिर्णीत	

18.	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
19.	पैरा 18(3)	अनिर्णीत
20.	पैरा 18(4)	अनिर्णीत
21.	पैरा 18(5)(1,2,3)	अनिर्णीत
22.	पैरा 19(क)(1)	अनिर्णीत
23.	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत
24.	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत
25.	पैरा 19(घ)(i)	अनिर्णीत
26.	पैरा 19(ण)	अनिर्णीत
27.	पैरा 19(च)	अनिर्णीत
28.	पैरा 19(छ)	अनिर्णीत
29.	पैरा 19(ज)(6 से 8)	अनिर्णीत
30.	पैरा 19(झ)(i)	अनिर्णीत
31.	पैरा 19(झ)(ii)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013

1.	पैरा 4	अनिर्णीत
2.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
4.	पैरा 6(ड़)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
8.	पैरा 12	अनिर्णीत
9.	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत
10.	पैरा 16	अनिर्णीत
11.	पैरा 18	अनिर्णीत
12.	पैरा 19(ii)	अनिर्णीत
13.	पैरा 19(iii)	अनिर्णीत
14.	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
15.	पैरा 21(i)	निर्णीत (उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना उपरान्त निर्णीत)
16.	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
17.	पैरा 22(क)(i)से(iv)	अनिर्णीत
18.	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत
19.	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत
20.	पैरा 22(घ)	अनिर्णीत

21.	पैरा 22(ड़)	अनिर्णीत	
22.	पैरा 23	अनिर्णीत	
23.	पैरा 24	अनिर्णीत	
24.	पैरा 25	अनिर्णीत	
25.	पैरा 25(क)	अनिर्णीत	
26.	पैरा 26(क)	अनिर्णीत	
27.	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत	
28.	पैरा 26(ग)	अनिर्णीत	
29.	पैरा 26(घ)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 27	अनिर्णीत	
31.	पैरा 27(क)	अनिर्णीत	
32.	पैरा 28	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा 3	निर्णीत	
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित)
3	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित)
4	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित)
9	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित)
10	पैरा 9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित)
11	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित)
12	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण

		प्रतिवेदन में प्रारूपित)
13	पैरा 12 (क से ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 13 (क से ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 14	अनिर्णीत
16	पैरा 15	अनिर्णीत
17	पैरा 16 (क से ग)	अनिर्णीत
18	पैरा 17	अनिर्णीत
19	पैरा 18	अनिर्णीत
20	पैरा 19	अनिर्णीत
21	पैरा 20	अनिर्णीत
22	पैरा 21	अनिर्णीत
23	पैरा 22	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

1)	31.3.2015 से गत शेष	191
2)	वर्तमान प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरे	28
3)	वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत पैरे	9
4)	31.3.2017 को अनिर्णीत पैरों का शेष	**210**